

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2021/1755

भोपाल, दिनांक 11/10/2021

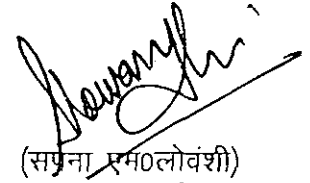
- :: आदेश :: -

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन उपरांत 01 वर्ष की अनिवार्य सेवा के बंधपत्र के अनुक्रम में विभिन्न संस्थाओं में बंधपत्र चिकित्सक कार्यरत हैं। कोविड-19 के संदर्भ में अधीनस्थ कार्यालयों से यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में बंधपत्र चिकित्सकों को कितने दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जावे अथवा बंधपत्र अधिध आगे बढ़ाई जावे।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अवलोकन/परीक्षण उपरांत स्नातक/स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों के संबंध में विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में बंधपत्र चिकित्सकों को 15 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तथा यदि इसके अतिरिक्त कोई शेष अवकाश अवधि है तो उक्त दिवस हेतु बंधपत्र अवधि आगे बढ़ाई जावेगी।

समस्त अधीनस्थ कार्यालय तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आयुक्त सह सचिव, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अनुमोदित



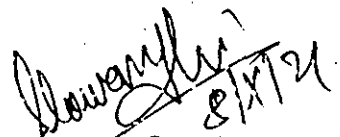
(सप्रना एम0लोवशी)
अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

भोपाल, दिनांक 11/10/2021

क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2021/1760

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त, म0प्र0, भोपाल, म0प्र0।
3. निज सहायक, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
4. निज सहायक, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल, म0प्र0।
5. रजिस्ट्रार म.प्र. मेडिकल कॉन्सिल, साँची कॉम्प्लेक्स भोपाल म.प्र.।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म0प्र0।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म0प्र0।
9. प्रशासकीय अधिकारी(कार्यालय स्थापना), स्थानीय कार्यालय, म0प्र0।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म0प्र0।
11. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म0प्र0।



अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0